भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

 **राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 223**

(जिसका उत्‍तर 1 दिसम्‍बर, 2015/10 अग्रहायण, 1937(शक) को दिया जाने वाला है।)

**जाली मुद्रा के परिचालन को नियंत्रित किया जाना**

**223. डा. वी. मैत्रेयन:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में आज की तिथि के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित वास्तविक मुद्रा के कुल मूल्य की तुलना में देश में परिचालित जाली मुद्रा के कुल मूल्य के संबंध में कोई विशेष आंकड़ा या रिपोर्ट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान मुद्रित मुद्रा का वर्ष-वार एवं मूल्यवर्ग-वार मूल्य क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा/बारकोड पहचान वाली प्लास्टिक मुद्रा को लागू करने जैसी कोई नवीन पद्धति है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में परिचालित जाली मुद्रा को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)**

**(क):** पिछले तीन वर्षों में देश में परिचालित नोटों के मूल्‍य तथा बरामद और जब्‍त किए गए जाली नोटों का ब्‍यौरा निम्‍नानुसार है:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| वर्ष  | परिचालित नोटों का मूल्‍य(बिलियन bhishma)  | जाली नोटों का मूल्‍य (बिलियन bhishma) |
| बरामद  | जब्‍त  |
| 2012 | 11,253 | 0.2485 | 0.2902 |
| 2013 | 12,468 | 0.2446 | 0.1845 |
| 2014 | 13,632 | 0.2828 | 0.1230 |

**(ख):** पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को आपूरित बैंक नोटों की मात्रा और मूल्‍यवर्गवार मूल्‍य का ब्‍यौरा निम्‍नानुसार है:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| मूल्‍यवर्ग  | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
| संख्‍या मिलियन अदद में | मूल्‍य (बिलियन bhishma) | संख्‍या मिलियन अदद में | मूल्‍य (बिलियन bhishma) | संख्‍या मिलियनअदद में | मूल्‍य(बिलियन bhishma) |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5506 | 550.60 | 9467 | 946.70 | 9417 | 941.70 |
| 20 | 1154 | 230.80 | 935 | 187.00 | 1086 | 217.20 |
| 50 | 1626 | 813.00 | 1174 | 587.00 | 1615 | 807.50 |
| 100 | 6675 | 6675.00 | 5131 | 5131.00 | 5464 | 5464.00 |
| 500 | 3002 | 15010.00 | 3393 | 16965.00 | 5018 | 25090.00 |
| 1000 | 1141 | 11410.00 | 818 | 8180.00 | 1052 | 10520.00 |
| योग | 19103 | 34689.40 | 20,918 | 31996.70 | 23,652 | 43040.40 |

**(ग):** सरकार, समय-समय पर नई सुरक्षा विशेषताओं पर निर्णय लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सतत आधार पर उपलब्‍ध विभिन्‍न विकल्‍पों का मूल्‍यांकन करती है।

**(घ):** वित्‍त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र तथा राज्‍यों की सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियां जाली भारतीय करेंसी नोटों से जुड़ी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। गृह मंत्रालय में एक एफआईसीएन समन्‍वय (एफसीओआरडी) समूह गठित किया गया है। इससे देश में जाली करेंसी नोटों की समस्‍या से निपटने के लिए राज्‍यों/केंद्र की विभिन्‍न सुरक्षा एजेंसियों के बीच आसूचना/जानकारी साझा की जा सकेगी। यह अधिक जब्तियों के लिए विभिन्‍न सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी समन्‍वय करता है। इस मुद्दे को अंतर्राष्‍ट्रीय बहुपक्षीय मंचों पर भी लगातार उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों के बीच जागरूकता उत्‍पन्‍न करने, बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने तथा जाली नोटों की सूचना देने और उनका पता लगाने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए अनेक उपाय भी प्रारंभ किए हैं।

इसके अतिरिक्‍त, जालसाजों से आगे रहने के लिए सरकार ने हाल ही में सभी मूल्‍यवर्गों के बैंक नोटों में संशोधित नंबर वाली पद्धति शुरू की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में 25 जून, 2015 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की है।

\*\*\*\*\*